(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) हालांकि, इस संदर्भ में कोई खास उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है, फिर भी घरेलू उपभोक्ताओं के निमित्त के एल० पी० जी० रिफिलों के अप्राधिकृत रूप से अनैतिक तत्वों द्वारा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की तेल कम्पनियों द्वारा तत्परता से जांच की जाती है तथा दोषी पाए गए वितरक के विरूद्ध विपणन अनुशासन नीति-निर्देशों के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

(ख) और (ग) अप्राधिकृत हस्तांतरण को रोकने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा कई उपाय किए गए हैं जैसे गैर घरेलू उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए निहित सिलेण्डरों पर रंगीन धारियां बनाना घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वितरक स्तर पर अलग-अलग रजिस्टरों का रख-रखाव केवल गैर घरेलू उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए अलग वितरण केन्द्र स्थापित करना, गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भिन्न आकार के सिलेण्डरों का इस्तेमाल करना आदि । आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सरकार ने तरल पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण विनियम) आदेश 1988 जारी किया है । अब तक किए उपायों से अनुकूल परिणाम सामने आए हैं ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबन्धक और वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध मामले

1898. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबन्धक श्री पी० के० पन्होत्रा और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध मामले लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या उक्त प्रबन्धक को पदोन्नत किया जाना युक्तिसंगत है, जबकि यह जांच चल रही है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कितने अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितने मामलों को जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया है, और अब तक की जांच का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि आयोग में अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ङ) यदि हां, तो पदोन्नति के मामले में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और इन मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की सम्भावना है ; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकायतों के आधार पर कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया है तथा उनके नाम और पदनाम क्या-क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) (क) और (ख) इस मंत्रालय में अनुपयुक्त छपाई तथा राष्ट्रीय ध्वज के दुरुपयोग और छोटे आकार के 30,000 राष्ट्रीय ध्वजों का छपाई का कार्य देने के लिए टेंडर आमंत्रित करने में दुराशय के बारे में खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबन्धक श्री पी० के० पन्होत्रा के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) से ता० 10-5-88 को एक शिकायत प्राप्त की थी । इस मामले की जांच कराने के बाद इस मंत्रालय ने उक्त मामले को बन्द कर देने का प्रस्ताव

किया है । श्री पन्होत्रा को खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में किसी उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है । खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी शिकायत केन्द्रीय जांच ब्यूरो में लंबित नहीं है ।

(ग) इस प्रकार की शिकायतों की संख्या के बारे में इस मंत्रालय में कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है तथापि सी०बी०आई०/सी०वी०सी० (केन्द्रीय सतर्कता आयोग) तथा इस मंत्रालय द्वारा के०वी०आई० सी० के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों की जांच की गई है । जिनमें से तीन मामले पहले ही से बन्द कर दिए गए हैं तथा इस मंत्रालय द्वारा दो और मामलों को बन्द कर देने का सुझाव दिया गया है । शेष चार मामलों में से दो मामलों के संबंध में के०वी० आई० सी० ने अनुशासनिक कारवाई शुरू कर दी है, एक मामला न्यायालय में चल रहा है तथा एक मामले की सी०बी० आई० द्वारा जांच की जा रही है ।

(घ) और (ङ) आयोग में अधिकारियों की पदोन्नति के केवल तीन मामले लंबित हैं, क्योंकि संबंधित व्यक्तियों के बारे में शुरू की गई विभागीय जांच को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । चूंकि विभागीय जांच को पूरा होने में समय लगता है, इसलिए किसी ऐसी निश्चित तारीख को निर्धारित करना संभव नहीं है, जबकि उक्त मामलों को अंतिम रूप दिया जा सके ।

(च) दो अधिकारियों अर्थात् सर्वश्री पी० आर० जोशी और आर० एस. शर्मा जो सहायक निदेशक हैं, को पिछले तीन वर्षों के दौरान दण्ड दिए गए हैं।

Grant of internal autonomy to Heavy Engineering Corporation, Ranchi

1899. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO; Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government granted inter nal autonomy to the Heavy Engineering Corporation, Ranchi;

(b) whether the grant of such internal autonomy is a unilateral decision; and

(c) whether it is a fact that the Heavy Engineering Corporation Ranchi requested Government to give Rs. 150 crore to tide over its current economic distress, if so, whether Government have sanctioned the money?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) HEC enjoys autonomy in respect of its normal commercial operational and other day to day matters.

(c) No, Sir.

Converting of imported jumbo rolls of graphic art film into finished rolls

1900. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO: Will ?he Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the notifi cation issued by Government making it obligatory for firm$_s$ converting imported Jumbo rolls of graphic art films into finished rolls to have an indusrial licence led to shortage of graphic art film;

(b) how many slitters are there in our country and of which how many have in dustrial licence; and

(c) whether it is also a fact that Govern ment issued the notification to 'benefit the Hindustan Photo Films?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OP INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHA-LAM), (a) No, Sir.